उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-7/304/26-1-2014-4(9)2013

लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राजेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद को उनके जनपद लखीमपुरखीरी में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों को धनराशि कोषागार चेक के माध्यम से भुगतान न कराकर बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान करने एवं उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में लाभार्थियों के बैंक खाते प्राप्त किये बिना ही धनराशि आहरित कर बैंकों को एकमुश्त भेजकर कई माह तक रोककर रखने तथा उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में स्वीकृत धनराशि रू0 5,68,80,000/- के सापेक्ष रू0 5,64,60,000/- का व्यय/विवरण उपलब्ध होने अवशेष धनराशि रू0 4,20,000/- का कोई विवरण अनुरक्षित न रखने, कतिपय लाभार्थियों को दोहरा भुगतान करने, शादी/बीमारी अनुदान योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को ट्रेजरी से आहरित कर बैंकर्स चेक के माध्यम से अनियमित रूप से लाभार्थियों को भुगतान करने, वर्ष 2008-09 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आहरित धनराशि रू0 26,71,83,000/- में से व्ययोपरान्त अवशेष धनराशि रू0 1,66,88,600/- से संबंधित कोई अभिलेख कार्यालय में रक्षित न रखवाने एवं उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 की अवशेष धनराशि रू0 24,24,600/- संबंधी कोई विवरण/अभिलेख अनुरक्षित न पाये जाने के कारण धनराशि के दुरूपयोग/गबन संभावित होने, ओ0ए0पी0-08 पंजी में मृत एवं अपात्र पेंशनरों का अंकन न किये जाने, विभिन्न वर्षो की वापसी की प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंकों में नियम विरूद्ध तरीके से खाता संचालित करते हुए धनराशि का अन्तरण कर अनियमित रूप से वितरण करने इत्यादि अनियमितताओं के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा श्री राजेश कुमार को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है। उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत प्रकरण की जॉच हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल, लखनऊ को पदनाम से जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2- निलम्बन की अवधि में श्री राजेश कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मॅहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मॅहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मॅहगाई भत्ता अथवा मॅहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री राजेश कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4- श्री राजेश कुमार निलम्बन अवधि में निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-7/304(1)/26-1-2014--तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को निलम्बन आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री राजेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद को निलम्बन आदेश की प्रति तामील कराकर स्पष्ट हस्ताक्षर व दिनांक सहित तामीली की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद/लखीमपुरखीरी।

4- अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल, लखनऊ/जॉच अधिकारी।

5- संबंधित अधिकारी।

6- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in